प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला जयपुर ...थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0 नि0 ब्यू0 जयपुर .वर्ष 2023
प्र0इ0रि0 सं. ..... 240/2023.....दिनांक....7.9.2023.....

2. (I) अधिनियम ... धाराये 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018)
(II) अधिनियम .भा.द.स. धारायें 120 बी
(III) अधिनियम .....धारायें .....
(IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....141..... समय....5:30 Pm
(ब) अपराध घटने का दिन बुधवार दिनांक 06.09.2023 समय 09:30 ए.एम
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 05.09.2023 समय ....

4. सूचना की किस्म :- लिखित / मौखिक लिखित

5. घटनास्थल :-
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:- पश्चिम दिशा / करीब 10 कि0मी0
(ब) पता : मकान नं. 116, शांति नगर, निर्माण नगर, जयपुर ...बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .....जिला .....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :-
(अ) नाम :- सूत्र सूचना जरिये श्री राजेश दुरेजा, उप अधीक्षक पुलिस, तकनीकी शाखा, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज. जयपुर।
(ब) पिता/पति का नाम
(स) जन्म तिथि/वर्ष .....
(द) राष्ट्रीयता .भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या .....जारी होने की तिथि .....
जारी होने की जगह .....
(र) व्यवसाय . .
(ल) पता - निवासी

7. <u>ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित</u> :-

1. श्री सुबोध कुमार मलिक पुत्र श्री धर्मपाल मलिक, उम्र 59 वर्ष, जाति जाट, निवासी मकान नं. 116, शांति नगर, निर्माण नगर, जयपुर हाल मुख्य अभियंता (भवन) सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. श्री जितेन्द्र जैन पुत्र श्री छोटालाल, जाति जैन, उम्र 56 वर्ष, निवासी 187, आदर्श नगर, डूंगरपुर, राजस्थान हाल अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड डूंगरपुर, राजस्थान।
3. श्री अनन्त गुप्ता पुत्र श्री रमन लाल गुप्ता, उम्र 59 वर्ष, जाति महाजन, निवासी ए-40, माही सरोवर, बांसवाड़ा, हाल सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, एनएच बांसवाड़ा, राजस्थान।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :-..कोई नहीं.....

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....
रिश्वती राशि .....

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य 10,00,000 रूपये

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :-

निवेदन है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय, जयपुर को विश्वस्त सूत्र से ज्ञात हुआ कि "सार्वजनिक निर्माण विभाग, डूंगरपुर में पदस्थापित श्री जितेन्द्र कुमार जैन, अधिशाषी अभियन्ता द्वारा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के साथ मिलीभगत कर सार्वजनिक निर्माण विभाग में विभिन्न टेंडरों में उंची दरों पर ऑर्डर दिलवाने, घटिया गुणवत्ता की सामग्री सप्लाई करने के लिये उच्च अधिकारियों के लिये रिश्वत ली जा रही है।" उक्त सूत्र सूचना का गोपनीय सत्यापन तथा तकनीकी विश्लेषण ब्यूरो की तकनीकी शाखा द्वारा किया जाकर प्रभारी श्री राजेश दुरेजा उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रनिब्यूरो के समक्ष निम्नानुसार रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्यापक भ्रष्टाचार उजागर होने की संभावना तथा राजकीय योजनाओं में घटिया गुणवत्ता की सामग्री सप्लाई करने से लोक सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने के मध्यनजर श्री जितेन्द्र जैन द्वारा प्रयोग में लिये जा रहे मोबाईल नं. 9414105133 तथा श्री अनन्त गुप्ता द्वारा प्रयोग में लिये जा रहे मोबाईल नं. 9079134262 एवं 9414102363 को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति उपरान्त नियमानुसार अन्तावरोध पर लिया गय तथा श्री ओमप्रकाश हैडकानि. व श्री संजय बसेरा कानि. द्वारा गोपनीय सूचना के सत्यापन के क्रम में संदिग्धों की गोपनीय निगरानी करते हुए अन्तावरोध वार्ताओं को सुना गया। अन्तावरोध अवधि की वार्ताओं को सुनने से यह प्रकट हुआ कि श्री जितेन्द्र जैन, अधिशाषी अभियन्ता, प्राईस एक्सीलेसन से सम्बन्धित बिलों के भुगतान सम्बन्धी जांच में स्वयं के पक्ष में निर्णय करवाने के लिये अन्य अधिकारी श्री अनन्त गुप्ता के साथ मिलीभगत कर, सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता श्री सुबोध मलिक को भारी मात्रा में अवैध पारितोषण प्रदान करेगा।

प्रकरण से सम्बन्धित अन्तावरोध अवधि में श्री जितेन्द्र कुमार जैन, अधिशाषी अभियन्ता एवं श्री अनन्त गुप्ता द्वारा आपस में तथा अन्य व्यक्तियों से की गई संदिग्ध वार्ताओं का सार निम्नानुसार है :-

1. दिनांक 08.07.2023 को समय 9:45:51 पर श्री जितेन्द्र जैन, अधिशाषी अभियन्ता के मोबाईल नम्बर 9414105133 तथा श्री अनन्त गुप्ता के मोबाईल नम्बर 9414102363 के मध्य हुई वार्ता में दोनो जयपुर जाकर सम्बन्धित उच्चाधिकारी को रिश्वत राशि देकर जितेन्द्र जैन के विरूद्ध लम्बित जांच में उनके पक्ष में निर्णय करवाने के लिये वार्ता करते है, श्री अनन्त गुप्ता बताते है कि उनके सम्बन्धित उच्चाधिकारी से बहुत अच्छे सम्बन्ध है, इस पर श्री जितेन्द्र जैन बताता है कि जो चार्जशीट की बात है, उसके सम्बन्ध में जारी किये गये प्राईस एक्सीलेशन के पेमेंट की रिकवरी भी उसके द्वारा कर ली गई है, तत्पश्चात् अनन्त गुप्ता से पूछता है कि अपनी पांच की बात हुई थी, अमाउंट कितना लूं? इस पर अनन्त गुप्ता कहता है कि एक बार सम्बन्धित अधिकारी से मुलाकात कर ले, वो सहमति दे देंगे तो पैसे का विषय महत्वपूर्ण नहीं है, उसके बाद दे देंगे पैसे, वैसे वो लालची टाईप का व्यक्ति नहीं है और मेरा बहुत पॉजिटिव सम्बन्ध रहा है उससे, उसके साथ के ढ़ाई साल के कार्यकाल में। वार्ता के दौरान अनन्त गुप्ता यह भी बताता है कि पहले फोन करके जाना उचित नहीं है, यदि पहले पूछा गया और उन्होनें मना कर दिया तो अपने पास और कोई रास्ता ही नहीं बचेगा।

2. दिनांक 10.07.2023 को समय 15:15:47 पर श्री जितेन्द्र जैन, अधिशाषी अभियन्ता के मोबाईल नम्बर 9414105133 तथा उनकी पत्नी के मोबाईल नम्बर 7014033518 के मध्य हुई वार्ता में पत्नी द्वारा उनके केस के सम्बन्ध में पूछा जाता है तो जितेन्द्र जैन बताता है कि अभी नहीं हुआ, तो पत्नी द्वारा पुनः पूछने पर वो बताता है कि 25 मांग रहा है, पत्नी भी आश्चर्य व्यक्त करती है, जितेन्द्र जैन बाद में करने का आश्वासन देकर कॉल काट देता है।

3. दिनांक 10.07.2023 को समय 17:00:50 पर श्री जितेन्द्र जैन, अधिशाषी अभियन्ता के मोबाईल नम्बर 9414105133 तथा उनकी पत्नी के मोबाईल नम्बर 7014033518 के मध्य हुई वार्ता में जितेन्द्र जैन द्वारा पत्नी से हालचाल पूछने पर बताता है कि वह तो उसी के काम को लेकर चिंताग्रस्त है, तो जितेन्द्र जैन बताता है कि वो तो पच्चीस पर ही अड़ा है, इस पर पत्नी कहती है इतने कहां से आयेंगे, बोल देते हमारी तो इतनी औकात ही नहीं है, तो जितेन्द्र जैन बताता है कि वो ठेकेदार का और दोनो का मिलाकर बता रहा है, तो पत्नी कहती है कि आप तो रहने दो इससे, आप तो खोड़ानिया जी से मिलकर करवा लो काम, तत्पश्चात् कहती है कि ठेकेदार से पहले ले लो आधे पैसे कि ला पहले तू दे, आप उस ठेकेदार से पहले लेकर फिर अपनी तरफ से मिलाकर दे देना या फिर आप उस गुप्ता को कहो कि इसके आधे करवा दे, इस पर जितेन्द्र जैन कहता है कि उसने तो दो-ढाई घण्टें कोशिश की ही है, अपने को ही एडजस्ट करना पड़ेगा, इस पर पत्नी कहती है कि तो करो एडजस्ट फिर। तत्पश्चात दोनो घर पर चल रहे मन्दिर के काम के सम्बन्ध में वीडियो कॉल करते हुए कॉल काट देते है।

4. दिनांक 15.07.2023 को समय 8:47:26 पर श्री जितेन्द्र जैन, अधिशाषी अभियन्ता के मोबाईल नम्बर 9414105133 तथा अन्य व्यक्ति के मोबाईल नम्बर 9829699544 के मध्य हुई वार्ता में अन्य व्यक्ति से हालचाल पूछने पर जितेन्द्र जैन कहता है कि मलिक साहब वाला काम अभी पैण्डिग चल रहा है, तो अन्य व्यक्ति कहता है कि आप इस काम को पैण्डिग मत रखो, तो जितेन्द्र जैन कहता है कि मैने तो दस तक का ऑफर दे दिया, इस पर अन्य व्यक्ति और अधिकारियों से सिफारिश करवाने का आश्वासन देता है और पूछता है कि उसने क्या कहा, तो जितेन्द्र जैन बताता है कि वो तो पच्चीस मांग रहा है, तो अन्य व्यक्ति हंसते हुए कहता है कि उसे कह देते कि मेरी सीट पर आकर तू ही बैठ जा, पांच-दस तो ठीक था, तत्पश्चात् कहता है कि उस पर दबाव तो बनाना पड़ेगा, तभी करेगा, इसको डस्टबिन में डलवा देंगे, इस पर जितेन्द्र जैन कहता है कि एक बार मै जिससे बात कर रहा था, उससे बात करके आपको बताता हूँ।

5. दिनांक 05.08.2023 को समय 16:31:12 पर श्री जितेन्द्र जैन, अधिशाषी अभियन्ता के मोबाईल नम्बर 9414105133 तथा श्री अनन्त गुप्ता के मोबाईल नम्बर 9414102363 के मध्य हुई वार्ता में अनन्त गुप्ता अपडेट पूछता है तो जितेन्द्र जैन बताता है कि उसका हर्निया का ऑपरेशन था इसलिये वो उसमें व्यस्त रहा। इस पर अनन्त गुप्ता कहता है कि उस दिन मैने ज्यादा ही दवाब बना दिया था उन पर, वैसे अपना वहां जाना व्यर्थ नही गया तो जितेन्द्र जैन सहमति देता है।

6. दिनांक 11.08.2023 को समय 19:20:59 पर श्री जितेन्द्र जैन, अधिशाषी अभियन्ता के मोबाईल नम्बर 9414105133 तथा श्री अनन्त गुप्ता के मोबाईल नम्बर 9414102363 के मध्य हुई वार्ता में दोनो जयपुर आकर सम्बन्धित अधिकारी से मुलाकात करने की वार्ता करते है, जितेन्द्र जैन बात करने के लिए कहता है जिस पर अनन्त गुप्ता कहता है कि मैने मैसेज तो डाले थे एक दो बार लेकिन वापस जवाब नहीं आया। इस पर जितेन्द्र जैन कहता है कि इनका प्रमोशन तो नहीं हो रहा है, इस पर अनन्त गुप्ता कहता है कि यह तो लॉबिंग किसकी चलती है, इस पर निर्भर करता है, तो जितेन्द्र जैन कहता है कि बिना बात किये जाने से तो अपनी पहले वाली बात ही रह जायेगी, इस पर अनन्त गुप्ता कहता है कि नहीं नहीं, बात करके ही चलेंगे अपन, वैसे मैने तो पिछली बार भी बहुत दबाव बनाया था, तो जितेन्द्र जैन सहमति देते हुए कहता है कि हां सर आपने तो पूरा हण्ड्रैड परसेन्ट कोशिश की थी।

7. दिनांक 13.08.2023 को समय 20:57:03 पर श्री जितेन्द्र जैन, अधिशाषी अभियन्ता के मोबाईल नम्बर 9414105133 तथा श्री अनन्त गुप्ता के मोबाईल नम्बर 9414102363 के मध्य हुई वार्ता में अनन्त गुप्ता कहता है कि साहब से बात हो गई थी, उनका फोन आ गया था तो मैने उनको कहा कि सर कोई रास्ता निकालो, इस पर उन्होंने कहा कि मैने तो आपकी रेट फिक्स कर रखी है ना तो मैने कहा कि सर जो दे वो ले लो, हमारी मदद करो ना, इस बार मेरी उनसे काफी पॉजीटिव बात हुई है, इस बार बैठ जायेगा, तो अपन दोनो चलने का प्लान कर लेते है, इस पर जितेन्द्र जैन कहता है कि 20 को संडे को चलकर मंडे को वापस आ जायेंगे। ट्रैन की टिकट बुक करवा लेते है, तो अनन्त गुप्ता सहमति देता है और कहता है कि आप अकेले जाओगे तब तो मानेगा नहीं, मैने उनसे कहा कि मेरा अच्छा मित्र है और बार-बार फोन कर रहा है सर, उसका शॉर्टआउट करो सर, तो एक बार तैयार तो हो गये, आज मेरी बात हो गई उनसे। जितेन्द्र जैन कहता है कि चलकर इस बार अपन निपटा आते है, तो अनन्त गुप्ता कहता है कि इस सप्ताह वो कार्यवाही करने ही वाले है, अपन चलकर आ जायेंगे और कुछ अमाउन्ट का होगा तो भी मेरी बात हो गई तो पूछ लूंगा, इस पर जितेन्द्र जैन कहता है कि 7.5 तो है उसके पास और वह दस तक की व्यवस्था कर लेगा, फिर भी आप पूछ लेना तो अनन्त गुप्ता कहता है कि ठीक है, उनसे बात हुई तो पूछ लूंगा।

8. दिनांक 17.08.2023 को समय 8:50:01 पर श्री जितेन्द्र जैन, अधिशाषी अभियन्ता के मोबाईल नम्बर 9414105133 तथा श्री अनन्त गुप्ता के मोबाईल नम्बर 9414102363 के मध्य हुई वार्ता में अनन्त गुप्ता, जितेन्द्र जैन को कहता है कि उसकी बात हो गई है साहब से, मैने उनको कह दिया कि जो भी दे वो ले लो सर, मेरी खुलकर बात हुई उनसे वाट्सअप पर, मंडे को बुलाया है, मै और उनसे बात कर लूंगा एकबार, मै नहीं जा पाउंगा, ईलाज के लिये अहमदाबाद जा रहा हूँ, तो जितेन्द्र जैन कहता है कि कितना करना है, अमाउन्ट बताया है? इस पर अनन्त गुप्ता कहता है कि उन्होंने कहा कि अमाउन्ट तो पहले ही कह रखा है तो मैने कहा उससे क्या होता है, मैने उनको कह दिया कि वो जो भी दे वो ले लो, तो दस के आसपास दे देना और देख लेंगे आगे, एक बार काम तो रूके अपना। जितेन्द्र जैन कहता है कि मंडे को मिल जायेंगे क्या? तो अनन्त गुप्ता कहता है कि मैने उनसे कहा कि मै लेकर आ रहा हूँ उनको, मेरे बहुत अच्छे सम्बन्ध रहे है उनसे इसलिये मै उनके पास ऑफिस में भी कितना लड़ा आपके लिये, मलिक बहुत घाघ आदमी है, लेकिन कुल मिलाकर वो सरेण्डर हो गये है, अपने अपना काम हो जायेगा और आप तो फटाफट करवा लो वरना

अपना नुकसान हो जायेगा तो जितेन्द्र जैन कहता है कि मंडे को मै चला जाउंगा, इस पर अनन्त गुप्ता कहता है कि मै संडे को बात कर लूंगा।

9. दिनांक 31.08.2023 को समय 14:12:37 पर श्री अनन्त गुप्ता, अभियन्ता के मोबाईल नम्बर 9414102363 तथा श्री सुबोध मलिक, मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग के मोबाईल नम्बर 9983947222 के मध्य हुई वार्ता में सुबोध मलिक द्वारा पूछा जाता है कि अनन्त जी, हो आये अहमदाबाद? तो अनन्त गुप्ता कहता है कि हां सर, जा आया अहमदाबाद भी और दिल्ली में एक शादी में भी, कल ही आया हूँ तो सुबोध मलिक कहता है कि यार आप चार तारीख को मण्डे को आ जाओ मेरे को आपकी जरूरत भी है, तो अनन्त आने की सहमति देता है, जिस पर सुबोध मलिक पुनः तस्दीक के लिये पूछता है कि पक्का ना, तो अनन्त सहमति देता है।

10. दिनांक 31.08.2023 को समय 15:37:53 पर श्री अनन्त गुप्ता के मोबाईल नम्बर 9414102363 तथा श्री जितेन्द्र जैन, अधिशाषी अभियन्ता के मोबाईल नम्बर 9414105133 के मध्य हुई वार्ता में अनन्त गुप्ता, जितेन्द्र जैन से जयपुर चलने के लिये पूछता है तो जितेन्द्र जैन, स्वयं के निजी कारणों से अमेरिका जाना बताता है, तो अनन्त गुप्ता कहता है कि मेरी मलिक साहब से बात हो गई थी तो जितेन्द्र पूछता है कि क्या कह रहे थे, इस पर अनन्त गुप्ता बताता है कि मैने उन्हें दिल्ली से आने का बताया तो वो चार तारीख को आने का कह रहे थे, लेकिन आपका प्रोग्राम है तो मै अपना बता दूंगा कि मेरे कोई काम है, तो जितेन्द्र कहता है कि मै आपको बताता हूँ।

11. दिनांक 4.09.2023 को समय 19:03:16 पर श्री जितेन्द्र जैन, अधिशाषी अभियन्ता के मोबाईल नम्बर 9414105133 तथा श्री अनन्त गुप्ता के मोबाईल नम्बर 9414102363 के मध्य हुई वार्ता में जितेन्द्र, अनन्त को बताता है कि उसका अमेरिका जाने का प्रोग्राम केन्सिल हो गया है, इसलिये कल शाम को ट्रैन से चलते है, इस पर अनन्त सहमति देते हुए कहता है कि कल शाम की करवा लो, तत्पश्चात दोनो जयपुर की प्लानिंग करते है। जितेन्द्र जैन कहता है कि साहब से बात हो गई थी क्या? तो अनन्त गुप्ता कहता है कि हो ही गई थी ना साहब से तो, फिर आपकी तरफ से कन्फर्म सिग्नल नहीं मिलता है तो मेरा बात करना ठीक नहीं है।

12. दिनांक 5.09.2023 को समय 9:13:28 पर श्री जितेन्द्र जैन, अधिशाषी अभियन्ता के मोबाईल नम्बर 9414105133 तथा श्री अनन्त गुप्ता के मोबाईल नम्बर 9414102363 के मध्य हुई वार्ता में अनन्त गुप्ता, जितेन्द्र जैन को बताता है कि बात हो गई है मलिक साहब से, मैने कल का टाईम दे दिया है, तो जितेन्द्र जैन कहता है कि अपन ने बुक कर ही दिया था, आप इधर ही आ जाना 6-7 बजे खाना खा के चल लेंगे तो अनन्त सहमति देते हुए कहता है कि वह 6-7 बजे ही पहुंचेगा।

इस प्रकार उपरोक्त वार्ताओं तथा अन्तावरोध अवधि से सम्बन्धित अन्य वार्ताओं को सुनने पर प्रकट हुआ कि श्री जितेन्द्र जैन, अधिशाषी अभियन्ता, स्वयं के विरूद्ध प्राईस एक्सीलेसन से सम्बन्धित बिलों के भुगतान सम्बन्धी लम्बित जांच में उसे जारी पत्र में स्वयं के पक्ष में निर्णय करवाने के लिये श्री अनन्त गुप्ता के साथ मिलीभगत कर, सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता श्री सुबोध मलिक को 10 लाख रूपये से अधिक की राशि अवैध पारितोषण के रूप में प्रदान करेगा।

उक्त रिपोर्ट श्री राजेश दुरेजा द्वारा श्रीमान महानिदेशक महोदय द्वारा पृष्ठांकित आदेशानुसार दिनांक 05.09.2023 को मन् हेमन्त वर्मा, पुलिस निरीक्षक, नगर-प्रथम, जयपुर को प्रस्तुत की गई। जिस पर मेरे द्वारा दिनांक 06.09.2023 को प्रस्तावित कार्यवाही हेतु स्वतंत्र गवाह व ब्यूरो स्टॉफ को पावन्द किया गया। दिनांक 6.09.2023 को मन पुलिस निरीक्षक मय कार्यालय स्टॉफ श्री हरिसिंह कानि. 19, श्री मनु शर्मा कानि. 111, श्री बंशीधर कानि. 363, श्री लालू सैनी कानि. 418 तथा महिला कानि. श्रीमती राजबाला 495 सरकारी वाहन मय चालक के ब्यूरो कार्यालय से समय 07:00 एएम पर रवाना होकर श्याम नगर पुलिस थाने के पास पहुंचा, जहां पर पूर्व से पांबदशुदा तकनीकी शाखा के श्री केशर सिंह, सहायक उप निरीक्षक, श्री लक्ष्मण नारायण शर्मा हैडकानि. 15 उपस्थित मिले। जिनके द्वारा अवगत कराया गया कि श्री राहुल शर्मा हैडकानि. तथा श्री अनिल सिंह हैडकानि. पूर्व के निर्देशानुसार रेल्वे स्टेशन पर तैनात है। उक्त दोनो द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि श्री अनन्त गुप्ता व श्री जितेन्द्र जैन रेल के द्वारा जयपुर अभी पहुंचे है, जिनका गोपनीय रुप से पीछा किया जा रहा है। जिस पर मन पुलिस निरीक्षक उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान सर्वश्री रोशनलाल गागर तथा श्री विकास कुमार एवं अन्य हमराही जाप्ता, तकनीकी शाखा के श्री केशर सिंह तथा श्री लक्ष्मणनारायण शर्मा के साथ श्री सुबोध मलिक, मुख्य अभियन्ता के निवास स्थान 116, शान्ति नगर, निर्माण नगर, जयपुर के आसपास गोपनीय निगरानी हेतु नियुक्त हुए। श्री राहुल शर्मा हैड कानि.तथा श्री अनिल सिंह हैड कानि. संदिग्ध श्री जितेन्द्र जैन एवं श्री अनन्त गुप्ता की डूंगरपुर से जयपुर रेल यात्रा के पश्चात् रेल्वे स्टेशन, जयपुर से निगरानी कर रहे थे,

जिनके द्वारा कुछ देर पश्चात अवगत कराया गया कि श्री जितेन्द्र जैन, अधिशाषी अभियन्ता तथा श्री अनन्त गुप्ता दोनों होटल राजधानी, पोलोविक्ट्री के पास, जयपुर में सामान रखकर, ऑटो संख्या आरजे 14 पीए 8116 से रवाना हुए है, उनका पीछा किया जा रहा है। समय करीब 09:20 पर उक्त दोनो संदिग्ध श्री जितेन्द्र जैन तथा श्री अनन्त गुप्ता उक्त ऑटो से सुबोध मलिक, मुख्य अभियन्ता के निवास पर उपस्थित आये और अपने अपने हाथ में एक एक काला बैग लेकर श्री सुबोध मलिक के घर में प्रवेश कर गये और करीब 7-8 मिनट बाद तक दोनो संदिग्ध श्री सुबोध मलिक के निवास से बाहर नही आये, जिससे रिश्वत राशि को खुर्दबुर्द करने की सम्भावनाओं के मध्यनजर मन पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान व हमराहीयान के श्री सुबोध मलिक के घर के मुख्य द्वार के पास पहुंचे जहां एक व्यक्ति मिला, जिसने स्वयं को श्री सुबोध मलिक का चालक श्री सुरेन्द्र सिंह होना बताया, जिनसे सुबोध मलिक, मुख्य अभियन्ता के बारे में पूछा गया तो बताया कि साहब निवास के अन्दर ही है और दो व्यक्ति अभी कुछ समय पहले उनसे मुलाकात के लिये गये है। इस पर मन पुलिस निरीक्षक मय हमराही जाप्ता एवं दोनो स्वतंत्र गवाहान के साथ घर के अन्दर बरामदे में पहुंचा तो दाहीनी तरफ के खुले दरवाजे के अन्दर कमरे में दो व्यक्ति सोफे पर बैठे दिखाई दिये तथा एक महिला एक सोफे के पास खड़ी हुई थी जो टीम को देखकर गेट पर आई तो मन पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वंय का परिचय देकर पूछने पर स्वंय को श्री सुबोध मलिक की पत्नी श्रीमती ज्योति मलिक होना बताया तथा मन पुलिस निरीक्षक के कहने पर श्रीमती ज्योति मलिक द्वारा अपने पति श्री सुबोध मलिक को घर के अन्दर से बुलाया गया, जिसको मन पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वंय व हमराहीयान का परिचय देकर पूछने पर स्वंय का सुबोध मलिक मुख्य अभियंता (भवन) सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर होना बताया। मन पुलिस निरीक्षक द्वारा स्वंय का आने का उद्देश्य बताते हुये स्वंय व हमराहीयान की जामा तलाशी लेते हुये प्रवेश की अनुमति चाही गई तो श्री सुबोध मलिक ने सदभावपूर्वक तलाशी हेतु मना करते हुये प्रवेश की अनुमति दी, जिस पर मन पुलिस निरीक्षक मय टीम के ड्रांईग रुम में प्रवेश किया जाकर पूर्व से बैठे हुये व्यक्तियों से नाम पता पूछा तो एक ने अपना परिचय श्री जितेन्द्र जैन पुत्र श्री छोटालाल, जाति जैन, उम्र 56 वर्ष, निवासी 187, आदर्श नगर, डूंगरपुर, राजस्थान हाल अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड डूंगरपुर, राजस्थान तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना परिचय श्री अनन्त गुप्ता पुत्र श्री रमन लाल गुप्ता, उम्र 59 वर्ष, जाति महाजन, निवासी ए-40, माही सरोवर, बांसवाड़ा, हाल सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, एनएच बांसवाड़ा बताया। पूछताछ पर श्री सुबोध मलिक ने बताया कि अनन्त गुप्ता का पेन्शन प्रकरण पेंडिग चल रहा है जो हालांकि मेरे अधीन नहीं है पर मुझसे अधिकारियों को कहलाने की मदद के लिए आया है। जितेन्द्र जैन क्यों आया है मुझे नही पता। अनन्त गुप्ता ने पूछने पर बताया कि मै अपने पेंशन के काम से आया था। जिसके कागजात मेरे बैग में है। जितेन्द जैन को भी काम था सो साथ आ गया। जितेन्द्र जैन ने पूछने पर बताया कि मै आफिसियल सूचना का पत्र देने आया था, अपने बैग से निकाल कर पत्र दिखाया। इस पर पूछा गया कि सूचना का पत्र देने हेतु अधिशाषी अभियंता स्तर के अधिकारियों की क्या आवश्यकता थी यह तो डाक अथवा अधीनस्थ के माध्यम से भी भेजी जा सकती थी। स्वंय देनी भी थी तो भी कार्यालय में दी जानी चाहिये थी तो कोई उत्तर नहीं दिया। श्री जितेन्द्र जैन के पैरों के पास फर्श पर रखे हुये काले बैग के विषय में पूछने पर बैग स्वंय का होना व उसमें जरुरत का निजी सामान ही होना बताया। इस पर गवाहों को कहने पर स्वतंत्र गवाह श्री विकास द्वारा उक्त बैग जिस पर अंग्रेजी भाषा में TOMMY HILFIGER लिखा हुआ को जितेन्द्र जैन से लेकर खोलकर देखा गया तो तौलिया, दवाई, मास्क, पानी की बोतल के अलावा एक प्लास्टिक की सफेद थैली जिस पर ACE Furnishing अंकित हुई में 500 रुपये के नोटों की गडिया रखी मिली। जिनकी गिनती स्वतंत्र गवाहान से करवाई गई तो उसमें 500 रुपये के नोटो की 08 गड्डिया कुल 800 नोट राशि 4 लाख रुपये पाये गये। बैग में एक क्रीम रंग के छोटे बैग जिस पर गहरे भूरे रंग की पट्टी पर सफेद अक्षरों में पंकज ज्वैलर्स डूंगरपुर अंकित है, जिसमें 500-500 रूपये के नोट की 12 गड्डियां कुल 1200 नोट राशि 06 लाख रुपये मिले। इस प्रकार प्राप्त सूत्र सूचना के अनुसार 10 लाख रूपये मिले। राशि के विषय में बार-बार पूछने पर भी श्री जितेन्द्र जैन ने कोई उत्तर नहीं दिया कि उक्त राशि किस उद्देश्य से लेकर आज यहां श्री अनन्त गुप्ता के साथ श्री सुबोध मलिक के घर पर आया था। अनेक बार तसल्ली देकर पूछने पर बताया कि मेरे अधीन दोवड़ा, डूंगरपुर में श्री वी.के. केडिया ठेकेदार द्वारा आईटीआई भवन का कार्य वर्ष 2018-19 का सैक्शन्ड किया गया था। जिसका निरीक्षण करने के लिए श्री सुबोध मलिक मई 2022 में डूंगरपुर में आये थे तथा कार्य में कमियां व अधिक व्यय संबंधी विषयों पर मेरे विरुद्ध कार्यवाही हेतु आरोप पत्र तैयार करने हेतु निर्देश दिये थे। बाद में भी इस बाबत पत्र जारी किये गये। जिस पर अभी तक प्रस्ताव नहीं बन पाया। मैंने कार्यवाही रुकवाने के लिए ठेकेदार श्री वी.के. केडिया से बात की तो उसने श्री सुबोध मलिक से बात कर मुझे बताया कि मलिक साहब ने 25 लाख रुपये मांगे है नहीं तो आरोप पत्र जारी

करवायेंगे। मैंने इतने रुपये देने से मना कर दिया तथा श्री अनन्त गुप्ता जो मेरे व मलिक साहब के पूर्व परिचित होने पर बात की तो इन्होंने मलिक साहब से बात करके बताने के लिए कहा। इसी वर्ष माह जूलाई में इस विषय में मलिक साहब से बात करने के लिए मै व श्री अनन्त गुप्ता जयपुर आये थे। तब मै मलिक साहब को देने के लिए 05 लाख रुपये साथ लेकर आया था। श्री अनन्त गुप्ता ने मलिक साहब से उनके कार्यालय में मिलकर कर बात करके मुझे बताया कि मलिक साहब 10 लाख रुपये से कम में नही मानेगे। तो हम वापस चले गये। मैंने 10 लाख रुपये की व्यवस्था कुछ दिन पहले करके श्री अनन्त गुप्ता से बात की व हम दोनों ने जयपुर जाकर मेरे विरुद्ध कार्यवाही रुकवाने हेतु यह रुपये मलिक साहब को देने का कार्यक्रम तय किया था। जिस पर अनन्त गुप्ता ने जरिये टेलीफोन मलिक साहब से बात कर उनकी सहमति लेकर मुझे बताया था। अनन्त गुप्ता द्वारा मलिक साहब से सामान्य व व्हाटसएप कॉल के माध्यम से बात की जाती रही है। हम दोनों इस कार्य के लिए मलिक साहब के घर पर आकर उनसे मिले, इतनी ही देर में आप आ गये और हमको पकड़ लिया। इस पर अनन्त गुप्ता से जितेन्द्र जैन के साथ जयपुर आने व सुबोध मलिक के घर आने व राशि के विषय में बार-बार पूछने पर चुप रहा कोई उत्तर नहीं दिया और नजरें झुका कर बैठे रहे। उसके बाद श्री सुबोध मलिक से पूछा गया तो अनन्त गुप्ता का आने का उद्देश्य उसके पेंशन कार्य में मदद चाहने का बताया। जितेन्द्र जैन के विषय में पूछने पर बताया कि मैंने इनके अधीन दोवड़ा आईटीआई भवन डूंगरपुर में चल रहे कार्य की गत वर्ष निरीक्षण कर कमियां निकालकर डूंगरपुर अधीक्षण अभियंता को निर्देश दिये थे कि जितेन्द्र जैन के विरुद्ध आरोप पत्र तैयार कर भेजे। उक्त आरोप पत्र प्राप्त होने पर मेरे अधीन एडिशनल चीफ एडम तथा एसई इनक्वायरी द्वारा जांच कर आरोप पत्र प्रस्ताव एडम सीई एण्ड एएस को प्रस्तुत किये जाते तथा उनके द्वारा डीओपी राजस्थान सरकार को भेजे जाने पर वहां से आरोप पत्र दिया जाना था। जितेन्द्र जैन पहले भी 02 बार अपने विरुद्ध जांच रुकवाने के लिए जयपुर में आकर मुझसे मिला था व इस कार्य के लिए रिश्वत की पेशकश की थी, परन्तु मेरे द्वारा मना करते हुये एसई डूंगरपुर को आरोप पत्र प्रस्ताव भेजने हेतु वापस लिखा गया था। जो अभी तक प्राप्त नही हुआ। इस पर पुनः जितेन्द्र जैन से पूछा गया तो पूर्व में कही बातें दोहराते हुये अनन्त गुप्ता व सुबोध मलिक के सामने कहा कि अनन्त गुप्ता द्वारा मेरे विषय में की गई वार्ता के क्रम में मेरे विरुद्ध प्रस्तावित आरोप पत्र रुकवाने के लिए आज 10 लाख रुपये लेकर मलिक साहब को देने के लिए उनके घर पर आया हूं। निरीक्षण में पाई गई कमियों का जवाब भी एसई डूंगरपुर से तैयार करवाकर लाया था, जो मेरे बैग में है। कागजातों का अवलोकन करने पर पत्र में सलंग्न कागजात अति. मुख्य अभियंता उदयपुर मुख्यालय बांसवाड़ा को संबोधित पाया गया। इस पर पूछने पर बताया कि यह पत्र मलिक साहब को अथवा इनके कार्यालय में देना नहीं था, मलिक साहब को दिखाने के लिए लेकर आया था। इस पर पूर्व में प्रारंभिक पूछताछ पर पत्र यहां पर जयपुर देने का कथन करने बाबत पूछा गया तो बार-बार पूछने पर भी कोई उत्तर नही दिया व चुप होकर नजरे झुका ली। उपरोक्त पत्रांक 850, 849 दिनांक 07.07.2023 मय सलंग्न कलर छायाप्रति एटीआर, मय आईटीआई भवन दोवड़ा, डूंगरपुर की कलर फोटोग्राफ प्रतियां बाद अवलोकन उपस्थित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कागजात किये गये। ब्यूरो द्वारा सुने जा रहे श्री जितेन्द्र जैन व श्री अनन्त गुप्ता के मोबाईल नं. 9414105133, 9414102363 तथा 9079134262 के विषय में पूछने पर जितेन्द्र जैन ने मोबाईल नं. 9414105133 व 7014939969 स्वंय के उपयोग में होना व एक फोन में दोनों सीम होना बताते हुये अपने पास होना तथा मोबाईल नं. 9414102363 तथा 9079134262 श्री अनन्त गुप्ता द्वारा स्वंय के उपयोग में एक ही फोन में होना व अपने पास होना बताया। श्री सुबोध मलिक ने स्वंय द्वारा मोबाईल नं. 9530084989 व 9983947222 एक ही फोन में होना व स्वंय के उपयोग में होना बताया। उक्त तीनों मोबाईल तीनों से प्राप्त किये जाकर चैक किये जाकर सूत्र सूचना व आकस्मिक चैकिंग से संबंधित संदिग्ध व्हाटसएप कॉल एवं चैट के स्क्रीन शॉट प्रिन्ट निकलवाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिये गये। उक्त तीनों आरोपीगण के पास मिले तीनों मोबाईल फोन का विस्तृत विवरण फर्द में अंकित कर मौके पर विधि अनुसार जप्त कर सील मोहर किये गये। श्री जितेन्द्र जैन के कब्जे से मिले 10 लाख रुपये की राशि मय प्लास्टिक की थैली, क्रिम कलर के छोटे बैग व काले बैग को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी लिया गया। आकस्मिक कार्यवाही के दौरान श्री सज्जन कुमार पुलिस निरीक्षक, एसआईयु, एसीबी जयपुर ने निर्देशानुसार श्री सुबोध मलिक के कार्यालय से पत्रांक 102 दिनांक 03.07.23 श्री सुबोध मलिक द्वारा एसीई सभांग उदयपुर-द्वितीय व एसई डूंगरपुर को जितेन्द्र जैन के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत करने बाबत जारी की छायाप्रति, पत्रांक 67 दिनांक 02.05.23 श्री सुबोध मलिक द्वारा एसीई सभांग उदयपुर-द्वितीय व एसई डूंगरपुर को जितेन्द्र जैन के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत करने बाबत जारी की छायाप्रति, निरीक्षण नोट द्वारा श्री सुबोध मलिक दिनांक 25 से 28.05.20222 की छायाप्रति लाकर प्रस्तुत की, जिनको श्री सुबोध मलिक को दिखाया गया तो स्वंय के हस्ताक्षरों से जारी पत्रों की कार्यालय प्रतियां होना बताया। जिन पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर

शामिल कागजात किये गये। उपरोक्तानुसार आकस्मिक चैकिंग की समस्त कार्यवाही हमराह स्वतंत्र गवाहान के समक्ष की गई। सूत्र सूचना, आकस्मिक चैकिंग की कार्यवाही, मौके पर बरामद नगदी श्री जितेन्द्र जैन, श्री अनन्त गुप्ता व श्री सुबोध मलिक से की गई पूछताछ, उक्त तीनों के कब्जे से बरामद मोबाईल फोन तथा मोबाईल से प्राप्त व्हाटसएप चैट, कॉल विवरण, श्री सुबोध मलिक के कार्यालय तथा श्री जितेन्द्र जैन के कब्जे से प्राप्त कागजात के अवलोकन से पाया गया, कि श्री सुबोध मलिक द्वारा श्री जितेन्द्र जैन के अधीन जिला डूंगरपुर में किये गये सरकारी आईटीआई भवन निर्माण कार्य में स्वंय द्वारा मुख्य अभियंता के रुप में क्षेत्राधिकार सरकारी उत्तरदायित्व के रुप में कार्य करते हुये निरीक्षण कर निर्माण कार्य में कमियां निकाली जाकर श्री जितेन्द्र जैन के विरुद्व विभागीय कार्यवाही शुरु करवाने हेतु प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने के निर्देश संबंधित स्वंय के अधीनस्थ अधिकारियों को दिये गये थे। जिस पर श्री जितेन्द्र जैन द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही रूकवाने के उदेश्य से स्वयं व श्री सुबोध मलिक के परिचित श्री अनन्त गुप्ता से वार्ता की तथा श्री अनन्त गुप्ता द्वारा श्री सुबोध मलिक से सम्पर्क किया गया तो श्री सुबोध मलिक द्वारा 25 लाख रूपयों की मांग करना प्रकट हुआ आगे अनन्त गुप्ता द्वारा श्री जितेन्द्र जैन को श्री सुबोध मलिक से 10 लाख में मान जाना अवगत करवाया गया। दिनांक 31.08.2023 को श्री अनन्त गुप्ता व सुबोध मलिक के बीच हुई वार्ता में सुबोध मलिक द्वारा अपने पास बुलाना कहा गया जिस पर श्री अनन्त गुप्ता द्वारा सहमति दी गई जिसके पश्चात उसी रोज श्री जितेन्द्र जैन को उपरोक्त वार्ता के बारे में बताते हुए जयपुर चलने का कहा गया। जिसके अनुसरण में आज दिनांक 06.09.2023 को श्री अनन्त गुप्ता व श्री जितेन्द्र जैन 10 लाख रूपये की राशि लेकर जयपुर में श्री सुबोध मलिक के घर पर आते है श्री जितेन्द्र जैन स्वयं के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही से संबंधित पत्राचार जो श्री सुबोध मलिक को संबोधित नहीं है भी अवलोकन हेतु साथ में लाये जाते है जिनकी संतुष्टि होने पर विभागीय कार्यवाही से संबंधित आरोपो में शिथिलता आने की संभावना प्रतीत होती है। समस्त हालातों से स्पष्ट है कि श्री सुबोध मलिक द्वारा स्वयं कमियां निकालकर श्री जितेन्द्र जैन के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु प्रस्ताव भेजने बाबत् स्वयं के अधीनस्थ संबंधित अधिकारी को बार-बार पत्र लिखे जा रहे थें जिनके दबाव में आकर श्री जितेन्द्र जैन द्वारा श्री सुबोध मलिक के परिचित श्री अनन्त गुप्ता के माध्यम से श्री सुबोध मलिक से रिश्वत की लेन-देन कर स्वयं के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही को रूकवाने के लिये सम्पर्क किया गया जिसके अनुसरण में श्री सुबोध मलिक की सहमति से आज दोनों श्री सुबोध मलिक के घर पर उपस्थित आये है तथा वार्ताओ के अनुसरण में प्रस्तावित कार्यवाही से संबंधित पत्राचार व 10 लाख रूपये रिश्वत राशि लेकर श्री सुबोध मलिक के घर पर उपस्थित आये। प्राप्त दस्तावेजो व पूछताछ के विवरण से श्री सुबोध मलिक लोकसेवक व मुख्य अभियन्ता के पद पर कार्यरत होने से श्री जितेन्द्र जैन के विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही व उसके द्वारा किये गये कार्य के गुण दोषों के आंकलन में विभागीय रूप से सक्षम अधिकारी है। इस प्रकार श्री जितेन्द्र जैन स्वंय के विरुद्व प्रस्तावित की जा रही विभागीय कार्यवाही को रुकवाने के लिए श्री अनन्त गुप्ता के माध्यम से श्री सुबोध मलिक को 10 लाख रुपये रिश्वत राशि देने के लिए सहमत होते हुये उक्त राशि लेकर लेन-देन हेतु मध्यस्थ श्री अनन्त गुप्ता के साथ श्री सुबोध मलिक के घर पर उपस्थित आया है। इसी प्रकार श्री अनन्त गुप्ता द्वारा श्री सुबोध मलिक से अपने पूर्व परिचय के आधार पर श्री जितेन्द्र जैन से 10 लाख रुपये श्री सुबोध मलिक को दिलवाकर श्री जितेन्द्र जैन के विरुद्व प्रस्तावित विभागीय कार्यवाही रुकवाने के लिए सहमत होते हुये उक्त रिश्वत राशि का लेन-देन स्वंय की उपस्थिति में श्री सुबोध मलिक के निवास स्थान पर करवाने हेतु जितेन्द्र जैन को रिश्वत राशि साथ लेकर सुबोध मलिक के निवास पर उपस्थित आये है। इसी प्रकार श्री सुबोध मलिक द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुये श्री जितेन्द्र जैन के विरुद्व विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करवाने हेतु अपने अधीनस्थ अधिकारी को निर्देश दिये है, साथ ही एक वर्ष से अधिक समय तक उक्त कार्यवाही के प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने पर भी मात्र 02 बार पत्र जारी किये गये है। जिससे स्पष्ट है कि श्री सुबोध मलिक द्वारा जान-बूझकर श्री जितेन्द्र जैन को मिलीभगत कर रिश्वत राशि लेन-देन हेतु सम्पर्क करने हेतु अवसर दिया गया है। जिसके अनुसरण में श्री सुबोध मलिक के पूर्व परिचित श्री अनन्त गुप्ता से रिश्वती लेन-देन की वार्ता की जाकर 10 लाख रुपये रिश्वत राशि तय कर श्री सुबोध मलिक की सहमति से उक्त राशि सहित जितेन्द्र जैन को लेकर आने पर स्वंय के घर में आने की अनुमति दी गई।

इस प्रकार 1. सुबोध कुमार मलिक पुत्र श्री धर्मपाल मलिक, उम्र 59 वर्ष, जाति जाट, निवासी मकान नं. 116, शांति नगर, निर्माण नगर, जयपुर हाल मुख्य अभियंता (भवन) सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर, 2. श्री जितेन्द्र जैन पुत्र श्री छोटालाल, जाति जैन, उम्र 56 वर्ष, निवासी 187, आदर्श नगर, डूंगरपुर, राजस्थान हाल अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड डूंगरपुर, राजस्थान तथा 3. श्री अनन्त गुप्ता पुत्र श्री रमन लाल गुप्ता, उम्र 59 वर्ष, जाति महाजन, निवासी ए-40, माही सरोवर, बांसवाड़ा, हाल सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, एनएच बांसवाड़ा के विरूद्ध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण

अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) तथा 120बी भा.द.स. का अपराध घटित होना पाया जाने पर उपरोक्त आरोपीगण को पृथक पृथक जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया। आरोपीगण से पूछताछ की जाकर पूछताछ नोट तैयार किये गये।

उपरोक्त सूत्र सूचना, आकस्मिक चैकिंग की कार्यवाही, मौके पर बरामद नगद राशि, श्री जितेन्द्र जैन, श्री अनन्त गुप्ता व श्री सुबोध मलिक से की गई पूछताछ, उक्त तीनों के कब्जे से बरामद मोबाईल फोन तथा मोबाईल से प्राप्त व्हाटसएप चैट, कॉल विवरण, श्री सुबोध मलिक के कार्यालय तथा श्री जितेन्द्र जैन के कब्जे से प्राप्त कागजात के अवलोकन से श्री जितेन्द्र जैन, अधिशाषी अभियन्ता के विरूद्ध प्रस्तावित जांच की कार्यवाही रुकवाने के लिए श्री अनन्त गुप्ता सहायक अभियन्ता के माध्यम से श्री सुबोध मलिक, मुख्य अभियन्ता द्वारा 10 लाख रुपये रिश्वत राशि लेना तय कर उक्त राशि लेकर जितेन्द्र जैन व अनन्त गुप्ता श्री सुबोध कुमार मलिक के निवास स्थान पर रिश्वत राशि देने के लिए आये, जिनको मौके पर गिरफ्तार किया गया। जो आरोपीगण 1. सुबोध कुमार मलिक मुख्य अभियंता, 2. श्री जितेन्द्र जैन अधिशाषी अभियंता तथा 3. श्री अनन्त गुप्ता सहायक अभियंता के विरूद्ध धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) तथा 120बी भा.द.स. का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित है।

अतः आरोपीगण 1. सुबोध कुमार मलिक पुत्र श्री धर्मपाल मलिक, उम्र 59 वर्ष, जाति जाट, निवासी मकान नं. 116, शांति नगर, निर्माण नगर, जयपुर हाल मुख्य अभियंता (भवन) सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर, 2. श्री जितेन्द्र जैन पुत्र श्री छोटालाल, जाति जैन, उम्र 56 वर्ष, निवासी 187, आदर्श नगर, डूंगरपुर, राजस्थान हाल अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड डूंगरपुर, राजस्थान तथा 3. श्री अनन्त गुप्ता पुत्र श्री रमन लाल गुप्ता, उम्र 59 वर्ष, जाति महाजन, निवासी ए-40, माही सरोवर, बांसवाड़ा, हाल सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, एनएच बांसवाड़ा के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) तथा 120बी भा.द.स. में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।

भवदीय,

(हेमन्त वर्मा)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
जयपुर नगर-प्रथम, जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री हेमन्त वर्मा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर प्रथम, जयपुर ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत धारा 7,7A भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादसं में अभियुक्तगण 1. श्री सुबोध कुमार मलिक पुत्र श्री धर्मपाल मलिक, निवासी मकान नं0 116, शांति नगर, निर्माण नगर जयपुर, हाल मुख्य अभियंता (भवन) सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान, 2. श्री जितेन्द्र जैन पुत्र श्री छोटालाल जैन, निवासी 187, आदर्श नगर, डुंगरपुर राजस्थान, हाल अधिपाशी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड डुगंरपुर राजस्थान तथा 3. श्री अनन्त गुप्ता पुत्र श्री रमनलाल गुप्ता, निवासी ए-40, माही सरोवर,बांसवाड़ा, हाल सहायक अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, एनएच बांसवाड़ा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 240/2023 उपरोक्त धाराओं में पंजीबद्ध कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई।

7.9.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांकः- 2718-22 दिनांक 07.09.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर क्रम संख्या-1 जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक(क-3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर नगर-प्रथम, जयपुर।

7.9.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।